International Journal of Applied and Universal Research **E-ISSN No: 2395-0269**
Volume III, Issue VI, NOV-DEC. 2016 Available online at: www.ijaur.com

महिलाओ के प्रति क्रूरता और दहेज–मृत्यु

संतोष कुमार मिश्र
शोधार्थी– अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा एवं अतिथि विद्वान विधि विषय,
शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मउगंज, जिला–रीवा (म0प्र0)

ABSTRACT: महिलाओ की जनसंख्या पुरूषो की तुलना मे लगभग आधी है परन्तु वे क्रूरता का शिकार होती रहती है और प्रतिरोध नही कर पाती है। प्रतिदिन अनेक घटनाएँ उनके साथ घटती है , उसे विवश होकर सहन करती रहती है। सहनशक्ति के बाहर होने पर इन घटनाओ के कारण उन्हे मृत्यु का वरण करना पड़ता है। विवाह के समय से दहेज के मॉग से क्रूरता शुरू होती है और दहेज मृत्यु का कारण बनती है। महिलाएँ ऐसी घटनाओ के लिए विवश क्यो है, क्या क्रूरता पूर्ण व्यवहारो की घटनाओ वाले अपराधो को रोकने के लिए विधियॉ अपर्याप्त हैं या ऐसी विधियो का ज्ञान उन्हे नही है, जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाई गयी हैं। प्रस्तुत अध्ययन में शीर्षक से संबंधित महिलाओ के संरक्षण के लिए निर्मित विधियों की जानकारी देते हुए संकलित सामग्री का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाला गया है।

KEYWORDS: क्रूरता, दहेज, विवाह, दहेज मृत्यु एवं अपराध.

प्रस्तावना (INTRODUCTION):

महिलाओ के जन्म लेने से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्हे क्रूरता का शिकार होना पड़ता है। बालिका गर्भ मे आने से ही भ्रूण–लिंग की जॉच शुरूआत हो जाती है। स्त्री भ्रूण होने पर लोग अनिच्छा, नाखुस होकर गर्भपात करा देते है। लोगों मे यह धारणा है कि लड़कियो कह विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है और उनसे मुश्किले होती है। विवाहोंपरान्त परायी हो जाती है, विवाह समय उनके विवाह मे अधिक धन खर्च करना पड़ता है। विवाह समय दहेज की चिन्ता व दहेज की मॉग पर क्रूरता (निर्दयता) किया जाता है, ऐसी निर्दयता के परिणाम स्वरूप दहेज मृत्यू होती है। वर्तमान मे रोहित कूच्चर एवं उसके पिता की क्रूरता से रोहित की पत्नि ललिता ने खुदकुशी कर लिया। कूच्चर कबड्डी खिलाड़ी था।

क्रूरता से अभिप्राय केवल शारीरिक निर्दयता से नही है, इसमे मानसिक निर्दयता भी सम्मिलित है। क्रूरता भौतिक या मानसिक या साशय अनाशय हो सकती है। क्रूरता के कृत्य और आचरण इतने भिन्न और अनेक हो सकते है कि उन्हे परिभाषा की सीमा परिधि मे बॉध पाना असम्भव है।परिभाषा के दृष्टि से सबसे पहला प्रयास सन 1897 मे रसल बनाम रसल[1] में किया गया कि क्रूरता ऐसा आचरण हैजिसके द्वारा जीवन अंग या स्वास्थय को शारीरिक या मानसिक चोट पहुॅचाने या वैसी चोट पहुॅचाने की सम्भावना हो। भारतीय दण्ड संहिता धारा 498 में महिलाओ के प्रति क्रूरता को दण्डनीय अपराध बनाया गया है। क्रूरता से तत्पर्य– जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो प्रकृति या जीवन का हो वह किसी स्त्री को आत्महत्या को विवश करे या घोर क्षति करे या डस स्त्री के शरीर,स्वास्थ या जीवन के लिए संकट मय हो अथवा उस स्त्री को उत्पीड़न करते हुए परेशान करना कि वह स्त्री किसी सम्पतित या मूल्यवान प्रतिभूति से अवैध मॉग पूर्ति मे असमर्थ रहे। पवन कुमार बनाम हरियाणा राज्य[2] के मामले मे वधू ताने मारना, दुर्व्यहार करना, मानसिक पीड़ा पहुॅचाना आदि को क्रूरता कहा गया है। महिलाओं के प्रति क्रूरता एक भयावह रूप धारण कर लेता है जब उनकी दहेज मृत्यु हो जाए । दहेज प्रतिवंध अधिनियम 1961 एवं संसोधन 1984 अंतर्गत दहेज वह है जिसमे कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूमि जो विवाह के पक्षकारो मे से एक दूसरे को या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा के पश्चात विवाह के सुबंध मे दी है या देने का वचन दिया है।इस तरह कोई भी सम्पत्ति यदि विवाह के संबंध मे दी गई है तो दहेज होगी यदि भेंट के रूप मे दी गई है तो दहेज नही होंगी।

दहेज की मॉग करके किसी स्त्री को प्रताड़ित किया जाए और स्वास्थ एवं जीती जागती, मुस्कुराती स्त्री को दहेज मृत्यु प्रदान कर दिया तो यह कितना दुःखद एवं वीभत्स दृश्य होगा। इस कारण से दहेज मृत्यु करके ऐसे अभियुक्तो को इण्डित करने के उद्देश्यो से भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 304(ख) अंतर्गत विवाह के 7 वर्ष भीतर किसी स्त्री के सामान्य परिस्थितियो से भिन्न परिस्थितियो मे हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले पति या उसके रिश्तेदारो द्वारा दहेज के लिए मॉग को ले कर परेशान किया गया था। तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा और उसकी मृत्यु का कारण उसके पति या रिश्तेदारो को माना जाएगा। जो कोई दहेज मृत्यु करेगा उसे दण्डित किया जाएगा जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नही होगात्री तथा आजीवन रिावास तक हो सकेगी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–

(1) क्रूरता का सुप्रत्य प्रत्येक काल मे प्रत्येक समाज मे भिन्न रहा है। सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियो के परिवर्तन के साथ–साथ उसके अर्थ मे परिवर्तन होते रहे है। क्रूरता पर भारतीय एवं पश्चिमी व्याख्याओ मे अंतर हैं। भारतीय समाज सुयुक्त परिवार व्यवस्था पर चलता है। अधिकांश लोग संयुक्त परिवार मे रहते है। जबकि पश्चिम के लोग अलग–अलग रहते है। भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियॉ पश्चिमी सभ्यता से भिन्न है।

भारत मे स्त्री पुरूष का विवाह हिन्दुओ मे एक संस्कार है और विवाह के समय दहेज की बात होती है। वही क्रूरता के द्वारा विच्छेद एव दहेज मृत्यु से संबंध है। दहेज की पूर्ति न होने

पर क्रूरता प्रारम्भ होती है। परन्तु दहेज की उत्पत्ति विवाह के समय से मानी जाती है। इसी कारण से ऐतिहासिक दृष्टिकोध को स्त्री पुरूष के विवाह को यथेष्ट होगा।

दहेज अधिकांशतः हिन्दुओ मे प्रचलित है। वैदिक काल मे दहेज शब्द का ज्ञान नही था। माता –पिता अपने कन्या का दान करते है। कन्यादान करते समय पर वधू को अपनी इच्छा से अलंकार, वस्त्र, फल आदि दिया करते थे, कि वर कन्या इन वस्तुओं के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ये वस्तुएँ कन्या को दी जाती थी। कालांतर मे वर के माता–पिता इन पर एकाधिकार रखने लगे। मध्य युग में इन्ही वस्तुओ को स्त्री धन के रूप मे जाना जाता था। स्मृति कारो ने छः तरह के स्त्री धर्म यथा– अध्याग्नि, अध्यावहनिक, प्रीतिदत्त, भातृदत्त, मातृदत्त एवं पितृदत्त का उल्लेख किए थे। मध्य युग मे ही स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिरने लगी, जिसका उल्लेख तुलसीदास जी ने इस तरह किया– ढोल, गवॉर, शूद्र, पशु,नारी। ये सब ताड़न के अधिकारी।

हिन्दुओ के धार्मिक ग्रन्थ रामायण मे देवी माता सीता के साथ की गई क्रूरता जिसमे वनवास का दुखः भोगने के लिए राज्य के प्रजाजनो द्वारा विवस कर दिया गया। इसी तरह महाभारत काल मे द्रौपदी का चीर हरण, दुर्योधन एवं उसके अनुजो के द्वारा किया जाना। द्रोपदी ने अर्जुन को चाहा था, परन्तु अर्जुन की माता के वचन पालन के लिए उसे पॉचो पाण्डवों से विवाह करने को द्रोपदी को विवश होना पड़ा था। यह स्त्रियो का सामाजिक स्तर गिरने एवं पुरूष प्रधानता सावित करने का ज्वलन्त उदाहरण था। आधुनिक भारतीय समाज मे विवाह के समय दिए जाने वाला यही धन विस्तृत रूप मे दहेज का रूप धारण कर लिया। वर पक्ष, कन्या पक्ष से दहेज प्राप्त करना अपना अधिकार समझते है और वैवाहिक सेटलमेंट से लेकर विवाह पश्चात तक दहेज की मॉग एवं इसकी पूर्ति को अपना सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ना मानते है।इसके अतिरिक्त भी दहेज प्रथा मे वृद्वि के अनेक कारण है, जिसमे समाज मे धनी व्यक्ति का महत्व अधिक है। अतः धन प्राप्त करना, लड़की का विवाह ऊंचे कुल मे करना, विवाह का क्षेत्र सामित होना समाज मे लड़कियो के विवाह की अनिवार्यता आदि कारणर दहेज प्रथा को प्रोत्साहन देता है।

मुस्लिम धर्म मे विवाह एक समझोता होता है। प्राचीन समय मे मुस्लिम कन्या पक्ष को पर पक्ष द्वारा मेहर देने की व्यवस्था थी। मेहर निश्चित था– हनफी मे दस दीरम तथा मलिकी समुदाय मे तीन दीरम है। एक दीरम चॉदी का 2.97 ग्राम वजन का सिक्का होता है या इसका मूल्य 3–4 आना है। एक आना 16 पैसे का होता हैं। परन्तु वर्तमान मे धन की अधिक लालसा से मेहर अनिश्चित हो गया है, और दहेज का रूप ले लिया है। इसके कारण योग्य वर का योग्य कन्या का धन के अभाव मे विवाह नही हो पाता परिणामतः विवाह विच्छेद (तलाक) जैसी क्रूरता बलवती होती है।

ईसाइयो मे विवाह को हिन्दुओ की तरह संस्कार माना जाता है। ईसाइयो मे विवाह गिरिजाघरो मे धर्म गुरू (पादरी) की उपस्थिति मे बाइबल का पाठ करते हुए सम्पन्न किया जाता है। विवाह को ईश्वर का आदेश माना जाता है। दहेज मॉगना दाण्डिक विधि अंतर्गत अपराध है और वैवाहिक विध अंतर्गत यह क्रूरता है।

क्रूरता के प्रकार (kinds of cruelty)-

क्रूरता किसी व्यक्ति का ऐसा आचरण होता है जो दूसरे व्यक्ति पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव डालता है। अतः क्रूरता दो तरह से होती है

(1) **शारीरिक क्रूरता**(physical cruelty) – शारीरिक क्रूरता मे शारीरिक हिंसा के ऐसे कृत्य और आचरण आते है जिनके द्वारा अंग या स्वास्थ्य को चोंट पहुॅचे या क्षति पहुॅचाने की औचित्य पूर्ण सम्भावना हो।

कौशिल्या बनाम वैशाखी राम[3] वाद मे न्यायाधीस दुआ ने कहा कि हमारे यहॉ स्त्रियॉ स्वयं को अपने भाग्य पर छोड़ देती है और अपने पति के क्रूर और बुरे व्यवहार को सहती रहती है। जब तक की उनकर सहनशक्ति बॉध टूट न जाए। पति ने पत्नि के साथ दुर्व्यहार किया और उसे मारा पीटा, क्रूरता के लिए यही पर्याप्त है। हर सभ्य समाज के मापदण्ड पर ऐसे आचरण को क्रूरता ही कहा जाएगा। शारीरिक क्रूरता अंतर्गत मारपीट, लड़ाई झगड़ा, शरीर को चोंट पहुॅचाना या क्षति पहुॅचाना बीमार की दवाई न कराना आदि आते है।

(2) **मानसिक क्रूरता** (Mental cruelty) – मानसिक क्रूरता मे ऐसे आचरण आते जो व्यक्ति के मन, मस्तिक को पीड़ा तथा दंखः पहुचाते है। मानसिक क्रूरता मन की और भावना की एक अवस्था है। एक व्यक्ति के आचरण द्वारा कारित रोष और कुन्ठा की भावना का निष्कर्ष केवल तथ्यो और परिस्थितियो से ही निकाला जा सकता है। इसे प्रम्यक्ष साक्ष्य द्वारा साबित करना कठिन है। वर्तमान मे मानसिक क्रूरता के अधिक मामले सामने आते है तथा या शारीरिक क्रूरता से अधिक असहनीय होते है। मानसिक क्रूरता निम्न तरह से की जाती है–

- असाधारण निर्दयता (भर्त्सना करना, भलाबुरा कहना) जानबूझ कर निर्दयता पूर्ण व्यवहार (अवहेलना उपेक्षा)।
- व्याभिचार और शीलभ्रष्टता का झूठा लांछन लगाना।
- नपुंसकता का झूठा लांछन लगाना।
- किसी महिला से अनुचित निकटता सखना। अन्य स्त्री के साथ निवास करना।
- झूठा दाण्डिक अभियोग लगाना।
- अफसरो से झूठी शिकायते करना।
- दुर्भावपूर्ण, कपटपूर्ण,निराधार, कलंकित करने वाले झूठे आरोप लगाना।
- तिरस्कार, अनादर एवं उदासीनता करना एवं दिखाना।

- उलाहने ताने देना(Nagging),
- दुष्टतापूर्ण एवं निंदनीय आचारण करना।
- मदोन्मत्त्ता के कारण दूसरे को सन्ताप पहुॅचाना।
- दाम्पत्य संभोग को नकारना।
- इच्छा के विपरीत गर्भपात कराना।
- पारिवारिक जीवन की उपेक्षा करना।
- अत्याधिक संभोग की कामविकृत होना, वैश्यावृत्य के लिए बाध्य करना।
- दहेज मॉगना तथा इसके लिए अभद्र वयवहार करना।
- पति–पत्नी का एक–दूसरे की पूर्ण अवहेलना करना तथा एक दूसरे का ध्यान न रखना।

क्रूरता की घटनाऍं–

(1) **क्रूरता से दहेज मृत्यु की घटनाऍं–** भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धाराओ मे अपराध घोषित किया गया है। धारा 498(क) अंतर्गत किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारो द्वारा उसके साथ निर्दनता का व्यवहार करने पर 3 वर्ष के कारावास से दण्डित किया जा सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। धारा 304(ख) अंतर्गत दहेज मृत्यु को परिभाषित एवं इसके लिए दण्ड निर्धारण किया गया है कि जहॉ विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी स्त्री की मृत्यु जल जाने से या शारीरिक क्षति से या सामान्य परिस्थितियो से भिन्न परिस्थित मे हो जाती है कि मृत्यु के ठीक पहले पति या नातेदारो के द्वारा दहेज की मांग को लेकर परेशान या क्रूरता किया गया था तो दहेज मृत्यु मासना जाएगा। एवं दहेज मत्यु कारित के लिए कारावास का दण्ड जो 7 वर्ष से कम नही होगा और आजीवन कारावास तक हो सकता है एवं जुर्माना भी हो सकता है।

धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण– जो कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा और उसके लिए जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वह 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने दण्डिनीय होगा। साक्ष्य अधिनियम, 1872 अंतर्गत जब प्रश्न दहेज मृत्यु या आत्महत्या के दुष्प्रेरण का हो तो निम्न धाराओ से साक्ष्य की उपधारणा होगी–

धारा 113 (क) – किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे मे उपधारणा – किसी स्त्री के उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उपके पति या पति के सुबुधिओ ने उपके साथ क्रूरता का व्यवहार किया था तो मामले की समस्त अन्य परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या के लिए उसके पति या पति के ऐसे संबंधी ने दुष्प्रेरित किया था।

धारा 113(ख)– दहेज मृत्यु के बारे मे उपधारणा– जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज के मॉग के लिए या उसके संबंध मे उस स्त्री के साथ कठोर व्यवहार किया था या उसको परेशान किया था तो न्यायालय हय उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

(2) **क्रूरता की अन्य घटनाऍं** जिसे भारतीय दण्ड संहिता मे अपराध की श्रेणी मे निम्न तरह से रखा गया है–

धारा 10 अंतर्गत स्त्री की परिभाषा दी गई है– 'स्त्री' शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है।लज्जा तथा शील नारी का सहज स्वभाव है, यदि कोई नारी की लज्जा व शील भंग करता है तो धारा 354 अंतर्गत दण्डित किया जाएगा। धारा 509 अंतर्गत जो कोई स्त्री की लज्जा के अनादर की आशय से शब्द कहेगा, ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा, जिससे स्त्री के एकांतता का अतिक्रमण हो, वह एक वर्ष के साधारण कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डित किया जाएगा। धारा 375 बलात्संग को परिभाषित करती है जो कोई पुरूष किसी स्त्री के साथ जिसकी आयु 16 वर्ष से कम है या स्त्री के इच्छा एवं संम्मति के बिना या भय दिखा कर संम्मति प्राप्त करके या स्त्री के संम्मति से जबकि ऐसा मत्तता या कोई पदार्थ खिला करके प्राप्त किया है, मैथून करता है तो वह बलात्संग करता है। धारा 376 बलांत्संग कारित करने मे कारावास जो 7 वर्ष से कम नही होगा किन्तु आजीवन या 10 वर्ष तक का हो और जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। धारा 376 का पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से संभोग तथा धारा 376 (क),(ख),(ग) मे लोक सेवको जेल अधीक्षक, अस्पताल प्रबंधन एवं कर्मचारियो के द्वारा किए गए बलात्संग के लिए दण्ड वर्णित है किसी स्त्री का गर्भपात कारित करने को धारा 312–318 तक मे दण्ड के उपवंध है किसी विवाहित स्त्री से मैथून करना जारकर्म है या धारा 497 अंतर्गत अपराध है। किसी विवाहित स्त्री को बहला फुसला कर अपराधिक आशय से ले जाना धारा 498 द्वारा अपराध है। धारा 372–373 मे वैश्यावृत्ति कार्य के लिए क्रय–विक्रय करना दण्डित है। इसी प्रकार अश्लील साहित्य का विक्रय या अश्लील गीत, शब्द, वस्तुऍं आदि प्रदर्शन को धारा 292–294 तक में दण्ड के प्रावधान है। धारा 359–367 मे व्यपहरण और अपहरण के बारे मे प्रावधान है तथा इन अपराध के लिए दण्ड के प्रावधान किए गए है।

महिलाओ के संरक्षण हेतु अन्य विधियाँ– (1) दहेज प्रतिशेध अधिनियम, 1961– अंतर्गत कोई भी दहेज लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो ऐसी अवधि के कारावास के जो 5 वर्ष की होगी और 15 हजार रू0 या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम के बराबर जो भी अधिक हो जुर्माने से दण्डित किया जाएगा। इस अधिनियम के अधीन ऐसे अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अशमनीय होंगे तथा इनका विचारण महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय नही करेगा।

(2) **अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956**– मे महिलाओ का यौन उम्पीड़न रोकने हेतु अधिनियम है। अनैतिक व्यापार अंतर्गत वैश्यावृत्ति आती है जिसमे वाणिज्यिक प्रायोजनो के

जिए लैंगिक शोषण या दुरूपयोग अभिप्रेत है। वैश्यावृत्ति से अभिप्राय है कि किसी स्त्री द्वारा धन के बदले मे अपने शरीर को स्वैच्छया मैथुन के लिए पेस करना। वैश्यावृत्ति से जुड़े कृत्यो जेसे– वैश्या गृह चलाना, वैश्यावृत्ति उपार्जनो से जीवन निर्वाह, वैश्यावृत्ति के लिए किसी को उत्प्रेरित करना वैश्या गृह मे निरूद्ध रखना, सार्वजनिक स्थलो पर वैश्यावृत्ति आदि को दण्डनीय माना गया है तथा ऐसे कृत्यों के जिए अलग–अलग दण्ड निर्धारित किए गए है।

(3) **महिलायो का अशिष्टरूपण निषेध अधिनियम, 1986**– मे नारियों का मॉडलिंग मे अंग प्रदर्शन को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया है। किसी स्त्री की आकृति, रूप या शरीर या किसी भाग को इस प्रकार वर्णन या चित्रण करना कि उसका चरित्र कलंकित होता हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लज्जा भंग या नैतिकता को हानिकारित होने की सम्भावना हो तथा जिससे जनसाधारण के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता हो अशिष्ट रूपण हो। महिलाओ का अशिष्ट रूपण करने वाले उत्पादन, विक्रय, वितरण जो कि पुस्तक, पेपर, स्लाइड, लेखन, रेखचित्र, रंगचित्र, छायाचित्र, रूपण, चित्र आदि को निशेध किया गया है तथा कोई व्यक्ति महिलाओ के अशिष्ट रूपण का दोषी है तो उसे प्रथमतः अपराध के लिए 2 वर्ष तक के लिए कारावास तथा 2000 तक जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, आगे पुनरावृत्ति पर 5 वर्ष तक कारावास एवं एक लाख तक जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है।

(4) **बालविवाह निषेध अधिनियम 2006**– मे बालविवाह ऐसे पक्षकार जो विवाह समय बालक था के विकल्प पर शून्य करणी होगा। बालविवाह मे पक्षकारो का भरण पोषण का दायित्व माता पिता या संरक्षक पर है। बाल विवाह करने वाले, संचालन दुष्प्ररण या प्रोत्साहन करने वालो को 2 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख तक जुर्माना या दोनो हो सकता है।

(5) **बालविवाह अवरोध अधिनियम,1929 एवं संशोधन 1978**– द्वारा बालविवाह से अभिप्राय है ऐसे विवाह से जिसमे वर वधू मे से कोई भी बालक हो। बालक उसे कहा जाता है जो पुरूष है तो 21 वर्ष, स्त्री है तो 18 वर्ष पूरे नही किए है। अवयस्क उसे कहा जाएगा जो 18 वर्ष पूरा न हो। बाल विवाह शून्य नही होता है परन्तु यह संज्ञेय अपराध के श्रेणी मे आता है और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन कर 15 दिन का कारावास एवं 1000 रू0 तक जुर्माना या दोनो दण्ड दिए जा सकते है। बाल विवाह के संचालक या माता–पिता को तीन माह तक कारावास या जुर्माना हो सकता है।

(6) **सती निवारण अधिनियम,1987**– सती प्रथा एक बुराई थी जिसके विरूद्ध राजा राम मोहन राय ने आवाज उठाया था। मृतक पति के विधवा को मृतक पति या किसी रिश्तेदार के शव के साथ जीवित जलाना या गाड़ना सती होना है। इस प्रथा मे मृतक पति के शव के साथ विधवा चिता मे बैठकर अपना प्राण त्यागती है। सती संबंधी निम्न कार्यो को क्रूर मानते हुए निषेध किया गया है जिसमे सती होने का प्रयास करना, सती होने का दुष्प्ररण करना, सती होने को गौरवान्वित करना। ऐसे कार्यो हेतु अलग अलग दण्ड हैं, सती होने को रोकने हेतु कलेक्टर को अण्धिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 51(क) मे मूल कर्तव्य है और चुनाव मे इसे भ्रष्ट आचरण मानते हुए चुनावी अयोग्यता माना जाता है।

(7) **घरेलू हिंसा मे महिलाओ का संरक्षण अधिनियम, 2005**– महिलाओ के विरूद्ध बढ़ते अपराध, क्रूरता एवं हिंसा को रोकने के लिए यह अधिनियम बना है। निम्न कृत्यो को घरेलू हिंसा माना गया है– महिला के जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि की अपहानि करना या क्षतिग्रस्त करना या संकटापन्न करना, महिला को अपनी संम्पत्ति या भरण पोषण से वंक्षित करना, अन्य शारीरिक या मानसिक क्षति करना, महिला के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करना तथा शारीरिक दुःख दर्द करना जो कि हमला, अभित्रास करना या बल प्रयोग से अभिप्रेत है, लैंगिग दुर्व्यवहार करना जिसमे यौन प्रकृति का आचरण जो महिला की गरिमा अपमान, तिरस्कार करता है, भावनात्मक दुर्व्यवहार करने मे अपमान हॅसी, गाली देना या किसी हितबद्ध व्यक्ति को बार बार धमकी देकर दर्द देना, आर्थिक दुर्व्यवहार करना जिसमे आर्थिक स्त्रोत से वंक्षित करना, घर के सम्पत्ति सामान बांड आदि को तथा स्त्रोतो एवं सुविधाओ को रोकना। इसमे व्यवस्था है कि संरक्षण अधिकारी को सूचना सेवा प्रदाता एवं संरक्षण की व्यवस्था किया जाएगा। संरक्षण गृहो मे व्यथित व्यक्ति को आश्रय प्रदान किया जाएगा या जैसा अनुतोस मजिस्ट्रेट अपने आदेश मे देना चाहे दे सकेगा।

(8) **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम,1990**– मे राष्ट्रीय महिला आयोग निम्न सभी कृत्य करेगा– महिलाओ के लिए संविधान एवं अन्य विधियो के उपवंधो मे रक्षापायो का अन्पवेषण, रक्षापायों के कार्यकरण की प्रतिवर्ष सरकार को रिपोर्ट देना, रक्षापायो का महिलाओ की दशा सुधारने मे प्रभावी क्रियान्वयन की सिफारिशे करना, संविधान के उपवंधो का समय समय पर पुनर्वलोकन करके उपवंधो के अतिक्रमण का समुचित प्राधिकारियो के समक्ष उठाना, महिलाओ के अधिकार का वंक्षन विधियो का अक्रियान्वयन महिलाओ हेतु अनुतोषो के अनुदेशो का अननुपालन की शिकायतो पर जॉच करना, महिलाओ के विरूद्ध विभेद च अत्याचार से उत्पन्न समस्या को हल करने की सिफारिश करना, महिलाओ की बुनियादी शिक्षा, अर्थिक विकास योजना, मुकदमे, विकास प्रगति मूल्योकन आदि की रिपोर्ट देना।

(9)**महिला श्रम** हेतु कई अधिनियम बने है महिलाऍ पुरूषो की भॉति सशक्त नही होती अतः पुस्षो की भॅति उनसे कठोर श्रम बाल्यकार्यो से बचाने की व्यवस्थाऍ है– **कारखाना अधिनियम 1948**– अंतर्गत महिलाओ को चालूयंत्रो मे, दुर्घटना संम्भावनावाले यंत्रो मे रूई धनाई, सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच कार्य से मुक्त, महिलाओ के लिए अलग शौचालय, मुत्रालय न होने, 6 वर्ष से कम उम्र का बच्चा होने पर अलग से शिशु

कक्ष न होने वाले नियोजनो मे नियुक्ति नही किया जा सकता।

खान अधिनियम,1952 मे महिला श्रमिको को खान के भीतर नही तथा दो कार्य दिवसो के बीच 11 घण्टे का अंतराल रखा जा सकता है।

न्यायालयीन निर्णीत मामले–

स्टेट ऑफ पश्चिम बंगाल बनाम ओडी लाल जायसवाल[4] के मामले मे न्यायालय ने उल्लेखित किया कि निर्दयता मे यह आवश्यक नही है कि नवविवहिता अपने साथ किए क्रूरता पूण व्यवहार को जगजाहिर करे, अर्थात जन साधारण से उसकी चर्चा करे। नवविवाहिता ऐसे व्यवहार की चर्चा सामान्यतः अपनी माता से करती है और अन्य लोगो से घटना की चर्चा नही करने मात्र उसे अविश्वसनीय नही बना सकता। **हेमचन्द्र बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा**[5] का मामला धारा 304(ख) का प्रकरण है, इसमे पत्नि ने गले मे फॉसी का फंदा लगाकर मृत्यु कारित कर ली थी जो साक्ष्य आया उससे स्पष्ट था कि पति द्वारा समय समय पर दहेज की मॉग करते हुए मृतक पत्नि के क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था अतः यह एक अप्राकृतिक मृत्यु थी। साक्ष्य अधिनियम धारा 113(ख) अंतर्गत दहेज मृत्यु की उपधारणा करने प्र्याप्त सबूत मौजूद थे। **केस राज बनाम स्टेट ऑफ पंजाब**[6] के मामले मे उच्चतम न्यायालय मे धारा 304(ख) के गठन के लिए दो बातें आवश्यक माना– दहेज की मॉग किया जाना तथा ऐसी मॉग को लेकर मृत्यु के पूर्व सताया जाना जिससे स्त्री की मृत्यु 7 वर्ष के भीतर हो। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम इकबाल सिंह[9] मे पत्नी द्वारा की गई आत्महत्या को धारा 306 के अंतर्गत अपराध माना गया। जहाँ दहेज को लेकर पति पत्नी के बीच तनाव पूर्ण रहे हो, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता रहा हो, पत्नी ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस संरक्षण की मॉग की हो, पति द्वारा मृतिका के पिता से दहेज की मॉग किया हो, मृतिका के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई हो, पत्नी ने अपना स्थानांतरण अन्यत्र चाहा हो तथा अंततः पत्नी ने आत्महत्या कर ली हो। **लोक अभियोजक, उच्च न्यायालय आन्ध्रप्रदेश बनाम नरसू बाई**[8] आन्ध्रप्रदेश के मामले मे कहा गया कि जबतक विनिर्दिष्ट रूप से उत्पीड़न एवं क्रूरता पूर्ण व्यवहार साबित नही कर दिया जाता तब तक किसी मृत्यु को दहेज मृत्यु नही किया जा सकता चाहे मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही क्यों ना हुई हो।

लखपति सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब[7] के मामले मे उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहॉ किसी महिला मृत्यु विष पान से हुई हो वहॉ उसके पति या सास को इस धारा के अधीन केवल इस आधार पर दोषी नही ठहराया जा सकता कि पति या सास द्वारा दहेज की मॉग की गई थी या उसके साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार किया गया था। ऐसे मामलो मे यह साबित किया जाना आवश्यक है कि विषपान मे उसका प्रत्यक्ष हाथ था।

तेज सिंह[10] के मामले मे उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा अवधारित किया गया कि किसी हिन्दू विधवा को सती होने के लिए उकसाना या सती होने मे सहायता करना आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध का गठन करता है। ऐसे मामलों में विश्वसनीय साक्ष्य का होना आवश्यक है, जिससे पता चल सके की अभियुक्त द्वारा वास्तविक तौर पर आत्महत्या दुष्प्रेरण किया गया था।

श्रीमती रूपन देवल बजाज बनाम केपी एस गिल[11] मे श्रीमती बजाज पंजाब कैडर की आई.ए.एस. अधिकारी है। घटना के समय वे वित्त विभाग मे विशेष सचिव पद पर कार्यरत थी। 18 जुलाई 1988 को एस एल कपूर के यहॉ दावत मे गईं थी। दावत मे पंजाब सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक के पी एस गिल भी आमंत्रित थे रात्रि के करीब 10 वजे गिल आए और श्रीमती के बजाज के कूल्हे मे मारे श्रीमती बजाज को उनका कृत्य बहुत बुरा लगा और गिल के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 341, 342, 352, 354 एवं 509 अंतर्गत मामला दर्ज करा दिया गया उच्चतम न्यायालय मे चुनौती दिए जाने पर न्यायालय ने इसे प्रथम दृष्टया धारा 354 एवं 509 मे दोषी माना।

विशाका बनाम राजस्थान राज्य[12] केमामले मे कामकाजी के साथ यौनउत्पीड़न एवं छेड़छाड़ की घटना को रोकने के लिए कतिपय दिशा निर्देश दिए। नियोजक कामकाजी महिलाओ का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए सूचना पटल पर निर्देश प्रदर्शित करें, अभियुक्तो के विरूद्ध अभियोजन चलाएँ, शिकायत समित का गठन करें, उत्पीड़न रोकने समुचित विधि अपनाएँ एवं महिलाओ को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करें।

विकास बनाम स्टेट आँफ राजस्थान[13] के मामले मे उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दहेज एक सामाजिक बुराई है, यह बुराई केवल कानून द्वारा दूर नही की जा सकती इसे दूर करने के लिए समाज को पहल करनी चाहिए। दहेज की मॉग एवं परिदान को समाज द्वारा प्रभावी रू‍प से रोका जा सकता है। दहेज को लेकर असंख्य महिलाएँ उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित की जाती है। उनमे से अनेक को जलाकर मार दिया जाता है या कई स्वयं जल कर या अन्य तरीके से मर जाती है।

बिहारी लाल बनाम छत्तीसगढ़ राज्य[14] कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम अंतर्गत प्रतिकर संबंधी मामला है। विकलांग महिला एवं पुरूष के नियोजन से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ उच्चन्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि जहॉ कर्मकार विकलांग हो और अपने कर्तव्यो का निर्वहन करनें मे असमर्थ हो पत्नी और बीमार माता साथ मे रहती हो वहॉ ऐसे व्यक्ति को उतना प्रतिकर दिया जाना चाहिए जिससे वह गरिमा मय जीवन यापन कर सके।

हरिभजन बनाम अमरजीत[15] के मामले मे पत्नी ने न केवल गर्ह कार्य करने से इन्कार कर दिया बल्कि वह पति को खाने के मेज, खाने के बर्तन धानो और घर का अन्य कार्य करने को बाध्य करती थी वह मेहमानो के समक्ष पति की उपेक्षा करती, उसे तिरस्कृत करती और उसका अनादर करती थी,

यहॉ तक उसने पति चाँटे भी मारे गंदी–गंदी गालियाँ देती और बार बार धमकी देती कि वह आत्महत्या कर लेगी। वह पति को परेशान करने के लिए उसके ऑफिस के अधिकारी से झूठी शिकायते भी की। यह निश्चय ही क्रूरता होता हैं।

आदर्श बनाम सरिता[16] के मामले मे दहेज की मॉग विवाह के 2 वर्ष पश्चात् भी की जाती रही। पत्नी के माता–पिता के सामर्थ्य के बाहर होने के कारण वे दहेज की मॉग पूरा नही कर सके। पति तथा पति के माता पिता उसे सताना जारी रखें यह आचरण क्रूरता था।

CONCLUSION(निष्कर्ष)– तथ्यो एवं उसके संकलनो के विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुॅचा जा सकता है कि क्रूरता चाहे किसी भी रूप मे की जाए और किसी भी व्यक्ति (पुरूष एवं महिला) के साथ हो, एक अपराध की श्रेणी मे आता है। क्रूरता से असहनीय भाव पैदा होता है तथा यह प्रत्येक स्थिति मे दण्डिनीय होना चाहिए क्रूरता समाज की समरसता को समाप्त कर विघटन की ओर ले जाता है ऐसे तत्व का प्रतिकार किया जाना चाहिए। ऐसे प्रतिकार के लिए महिलाओ को एक जुट होकर कार्य करना पड़ेगा।

विवाह के समय एवं विवाह के पश्चात् दहेज की मांग किया जाना भी एक क्रूरता है, यह एक सामाजिक बुराई है। इस बुराई से परिवार की एकांतता समाप्त होती है, जीवन जीना कठिन हो जाता है। न्यायालय द्वारा मामलो मे दिए गए निर्णयो से निष्कर्ष निकलाता है कि दहेज की लेन देन एक बुराई, जिस प्रकार सती प्रथा जैसी बुराईयो को समाप्त करने के लिए जनजागरण चलाएॅ गए थे उसी प्रकार दहेज के प्रति भी समाल का दृष्टिकोण परिवर्तित करने का जनअभियान चलाया जाना चाहिए। संविधियो का निर्माण करके एवं न्यायालयो के निणयो का दहेज की माँग एव दहेज मृत्यु रोकने पर कुछ हद तक प्रभाव पड़ा है किन्तु समाज के जनसहयोग के माध्यम से अभियान चलाकर पूर्ण रूप से रोका जा सकता है।

महिलाओ की शिक्षा पर विशेष ध्यान केन्द्रित करके विधिक शिक्षा दी जानी परम आवश्यक है, जिससके वे अपने अधिकारों के प्रति सजग हो सके और अपनी प्रतिरक्षा कर सके। महिलाएँ पुरूषो के समान प्रत्येक स्तर पर पहुँच सके और पुरूष प्रधानता समप्त हो। महिलाओ के प्रति पुरूषो की ओछी और तुच्छ मानसिकता की सम्भावनाएं विलीन हो और उनके लिए आदर एवं सम्मान जागृत हो।

————————
1. 1897 अपील केसेज 305
2. AIR1998 SC598
3 1961 पंजाब 520
4 . AIR 1994 S.C.1418
5. AIR 1995 S.C.120
6.AIR200 S.C.2324
7. AIR 1991 S.C.1532
8. 1995 क्रि ला ज 704
9. 1994 S.C.C.173
10. AIR 1958 राजस्थान 161
11. AIR 1996 S.C.309
12. AIR 1997 S.C.3011
13. AIR2002 S.C.2830
14. AIR 2007 L.O.C1201
15. 1986 मध्यप्रदेश 41
16. 1987 दिल्ली 203

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. भारत का संविधान– डॉ0 जे एन पाण्डेय, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी,
2. भारतीय दण्ड संहिता,1860– डॉ0 राजाराम यादव,इलाहाबाद लॉ एजेन्सी,
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम – डॉ0 राजाराम यादव,इलाहाबाद लॉ एजेन्सी,
4. महिला एवं बाल कानून– डॉ0 बी एल बाबेल, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी,
5. अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन– डॉ0 नावि परांजपे, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स,
6. मानवाधिकार विधि– डॉ0 एस के कपूर सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन्स
7. हिन्दू विधि– पारस दीवान इलाहाबाद लॉ एजेन्सी
8. मुस्लिम विधि– डॉ0 एस एन शुक्ला
9. समाजशास्त्र'– डॉ0 डी एस बघेल
10. सर्वोच्च न्यायालय के बाद निर्णय AIR
11. https:/hi.wikipedia.org/wiki

.

.